DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सभापति: डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे।

## Need for testing of Thalassemia before marriage

डा. विनय पी. सहस्रबृद्धे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान थैलेसीमिया जैसी एक बहुत बड़ी त्रासदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, हम कोरोनावायरस की चर्चा करते हैं, यह एक संक्रामक पद्धित का रोग है। कुछ रोग हमारी जीवन-शैली के कारण बनते हैं, मगर थैलेसीमिया जैसी समस्याएं genetically निर्माण होती हैं और थैलेसीमिया को रोका भी जा सकता है, बशर्ते उसके लिए कुछ रचनाएं बनाना आवश्यक है। महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारे खून के अंदर जब कुछ deficiency निर्माण होती है, तब 'थेलेसीमिया माइनर', इस पद्धति के व्यक्ति बन जाते हैं। दो थैलेसीमिया माइनर, यानी पति भी माइनर और पत्नी भी माइनर हो तो आने वाली प्रजा थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति थैलेसीमिया मेजर बन जाता है तो हर 4-6 महीने के बाद लगमग ब्लंड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है, bone marrow transmission की भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है और genetically ये सारी समस्या आगे भी carry forward होने की संभावना रहती है, इस दृष्टि से जो भी उपाय योजना की आवश्यकता है, उसके बारे में विशव में कुछ प्रयास भी हुए हैं। जैसे साइप्रस जैसे देश में शादी के पहले संभावित पति और पत्नी दोनों को ब्लड टैस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। इसी तरीके से कई शिक्षा संस्थाएं और मैरिज ब्यूरोज़ में कुछ न कुछ रचनाएं की जा सकती हैं। कुल मिलाकर इसके प्रति जन-जागरूकता बढाना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे चार सुझाव हैं, उपाय हैं, जो सदन और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए बता रहा हूं।

पहली बार यह है कि साइप्रस देश जो एक्ट लाया है और वहां पर यह कानून बना है तो सरकार को चाहिए कि उसका अध्ययन करे, उसके क्या परिणाम निकल कर आए हैं और सामाजिक परिणाम क्या हो रहे हैं, इसके बारे में सोचें।

दूसरा भारत के अंदर भी दो चार जिलों में ही सही, मगर इसको प्रायोगिक तौर पर लागू किया जाए और मैरिज रजिस्ट्रेशन के पहले, विवाह होने के पहले इस तरह के प्रावधानों की आवश्यकता है. प्रायोगिक तौर पर दो-चार जिलों में कम-से-कम सरकार करने की कोशिश करे।

जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे टेलीविज़न्स पर सीरियल्स या फिल्मों को दिखाने के पहले इसके बारे में कुछ मैसेज दिया जाए। एक अगस्त जैसा दिन, क्योंकि शादी का सारा मौसम सामान्यत: नवम्बर के बाद शुरू होता है तो एक अगस्त जैसे किसी दिन को 'Thalassemia Day' घोषित किया जाए और इसके बारे में जागरूकता बनायी जाए।

महोदय, वित्तीय सहायता ज़रूरी होती है, क्योंकि वित्तीय तनाव किसी भी फैमिली के खर्चे के ऊपर आ जाता है, उसके लिए सहयोग देने की रचनाएं, सरकार के जो बीमार लोगों के लिए सहयोग के प्रावधान रहते हैं, उसमें इसका भी समावेश किया जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन हैं, धन्यवाद।

डा. सोनल मानसिंह (नाम-निर्देशित): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करती हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करती हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. T. Subbarami Reddy. Your name was called yesterday, but you were not there. You are here today, so, I have called you.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I am a regular Member. Yesterday, I got stuck somewhere.

MR. CHAIRMAN: That is why I am concerned. About other irregular people, I don't take note, but I take note, because you are sincere.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, amendments  $\overline{\neg}$  therefore, I wanted to be absent for one day.

MR. CHAIRMAN: Good.

## Need for regulation of Crypto Currencies' trading

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the Reserve Bank of India had banned banks from providing services to crypto currency exchanges. Recently, after the Supreme Court ruling, overturning the Circular of the Reserve Bank of India, Crypto currency is back in circulation, whether it is Bitcoin or Ethereum. With the result, some people switched to offering crypto-to-crypto trading. Investors who wanted to engage in such trading preferred international platforms that offer greater liquidity and better pricing. The countries like Belarus, Malta, Switzerland have come up with new legislation on crypto currencies and block chain. Thereafter, India has an opportunity to learn from their experiences and see how best we can harness the positive potential of crypto assets. Banning crypto-currencies altogether could be counter-productive because it will take these activities underground. This is also a very volatile asset class. Moreover, crypto-currencies may not provide diversification benefit. As the equity markets were down last week, Bitcoin too saw a very sharp correction. No clear methodologies exist for determining the fundamental or intrinsic value of this asset class. Despite the inherent risks in it, investors still decide to invest in crypto-currencies and make them a part of their portfolio like trading. There are more than 1.7 million crypto-currency investors in India.

In view of the reality, the Government should allow trading, but with proper KYC (Know Your Customer) and anti-money laundering provisions in place. Therefore, I urge upon the Finance Minister to bring out regulations in the interest of crypto-currency investors in India and also to regulate the trading which would bring transparency.